कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 5096/कम्प्यू/8–179/2019 दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः 'वाहन 4.0' साफ्टवेयर के अन्तर्गत उपलब्ध ऑन लाईन **सेवाओं के सम्बन्ध में आवेदन** पत्र केवल **ऑन** लाईन **माध्यम से स्वीकार** किये **जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–5126/वै0अधि0/परि0आयु0/2018 दिनांक 05–12–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत "वाहन 4.0" साफ्टवेयर के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं को माह नवम्बर, 2018 से ऑन लाईन किये जाने की सूचना प्रेषित करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

(1) वाहन का स्वामित्व हस्तान्तरण
(2) पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति
(3) पता परिवर्तन
(4) एचपीए– पृष्ठांकन
(5) एचपीए– निरस्तीकरण
(6) अनापत्ति प्रमाणपत्र
(7) फिटनेस फीस
(8) फिटनेस प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति
(9) पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण
(10) वाहन में परिवर्तन (आल्ट्रेशन)
(11) वाहन के पंजीयन विवरण
(12) भार वाहन को नया परमिट
(13) ऑन लाईन कर भुगतान की सुविधा पूर्व से ही प्रचलित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवहन कार्यालयों में कार्य के दबाव में कमी करने और अधिकांधिक आवेदक ऑन लाईन सेवाओं की ओर अग्रसर हो सकें, इस हेतु राज्य में स्थापित जन सुविधा केन्द्रों को परिवहन विभाग की सेवाओं के लियें पूर्व में ही अधिकृत किया जा चुका है।

वर्तमान में परिवहन कार्यालयों में 'वाहन 4.0' के अतिरिक्त 'सारथी 4.0' के माध्यम से ऑन लाईन सेवाएं प्रदान की जा रही है। 'सारथी 4.0' से प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को शत–प्रतिशत ऑन लाईन किया जा चुका है, जबकि 'वाहन 4.0' के आधार पर संचालित सेवाओं के लिये वर्तमान में दोनों मॉड्यूल लागू है अर्थात वाहन स्वामी ऑन लाईन माध्यम से भी आवेदन कर सकता है अथवा कार्यालय में आकर भी अपना कार्य करा सकता है।

'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' के अन्तर्गत ऑन लाईन सेवाओं का सम्पादन विगत एक वर्ष से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अतः उक्त सेवाओं के और अधिक विस्तार के दृष्टिगत एवं परिवहन कार्यालय में कार्य के दबाव को कम करने के उद्देश्य से तथा जनता को विभाग की त्रुटिरहित एवं त्वरित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से 'सारथी 4.0' की भाँति ही 'वाहन 4.0' की उपरोक्त सेवाएं, जो ऑन लाईन उपलब्ध है, में केवल ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगें। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को भी तद्नुसार कार्य का सम्पादन करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(शैलेश बगौली)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी राज्य ईकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3/12/19

(शैलेश बगौली)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

ई0मेल द्वारा

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
फोन नं0–0135 2608108 पैक्स नं0–2608108

संख्या 3011 /एम0आई0एस0/सात–19/2020–21 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020

सेवा में,
कुमार साकेत,
सीनियर प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्ट,
एसए0टी0।

विषयः–Ease of Doing Business-Transport Department Service

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने ई0मेल पत्र दिनांक 08–10–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा Transfer of Vehicle Registration, Goods Carriage Permit And Issuing Vehicle Fitness Certificate के सम्बन्ध में गत 1 वर्ष की MIS, Timeline Notification & Only online Mandate उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त तीनो सेवाओं हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जा रहे है तथा उपरोक्तानुसार सम्बन्धित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।